


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

- :: कार्यालय आदेश :: -

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	बत्तीलाल गुर्जर व्या० भूखोल डाईट-सवाईमाधोपुर	आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(ए) कवाकअ-नि० / संस्था / आयुक्त / 2015-16 / 881 दिनांक 14.09.17


संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना अवगत करावें।


(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 27/9/2017

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/15-16
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक (मा) भरतपुर
4. संबंधित जिशिअ (मा) सवाई माधोपुर
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर